मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक: एफ 11-13/2014/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- व्यक्तिगत निक्षेप खातों में राशि जमा एवं आहरण की ऑनलाईन प्रक्रिया ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 11-13/2014/नियम/चार, दिनांक 23-7-2014.

राज्य शासन द्वारा सन्दर्भित ज्ञापन में कोषालयों/उप कोषालयों में संधारित शासकीय व्यक्तिगत निक्षेप खातों से आहरण की ऑन लाइन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

2/ संदर्भित ज्ञाप के संलग्न परिशिष्ट "क" पैरा क्रमांक 3 "राशियों के आहरण के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी" में निम्नांकित बिन्दु और सम्मिलित किये जाते हैं :-

(9) किसी एक कोषालय में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते से उसी कोषालय/उपकोषालय में या अन्य कोषालय/उपकोषालय में संधारित दूसरे व्यक्तिगत निक्षेप खाते में राशि ऑन लाईन, बुक ट्रांसफर की जा सकती है ।

(i) जिस खाते से बुक ट्रांसफर किया जा रहा है उस खाते का शेष, अंतरित की जा रही राशि से कम हो जायेगा । कोषालय/उपकोषालय के 'धन ऋण' ज्ञापन में निम्नांकित टीप दर्ज की जायेगी :-

"दिनांक - - - - - -को आईडी क्रमांक - - - - - से - - - - कोषालय/उपकोषालय के - - - - पी.डी. खाते में अंतरण द्वारा भुगतान किया गया" ।

(ii) जिस व्यक्तिगत निक्षेप खाते में राशि इलेक्ट्रिनिकली अंतरित की जायेगी उस खाते का शेष, जमा रकम से बढ़ जायेगा । धन ऋण ज्ञापन में कोषालय/उपकोषालय द्वारा निम्नांकित टीप दर्ज की जायेगी:-

"दिनांक - - - - को "आई डी क्रमांक . . . . . . से . . . . कोषालय/उपकोषालय के पी.डी. खाता क्रमांक . . . . से दिनांक . . . . . . को अंतरण द्वारा प्राप्त हुई ।"

(10) पी.डी. खाता से अन्य प्राप्ति शीर्ष मे यथा आयकर, वाणिज्यिक कर, मूल्य संवर्धन कर (VAT) में इलेक्ट्रानिक बुक ट्रासफर किया जा सकेगा । खाता प्रशासक द्वारा इलेक्ट्रानिक पी.डी. चैक (मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत), कोषालय अधिकारी को चालान विवरण के साथ ऑन लाईन प्रेषित किया जायेगा । कोषालय अधिकारी द्वारा उसे पारित कर पुस्तक अंतरण संबंधित प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जायेगा।

(11) ऐसे प्रकरणों में जहाँ ई-भुगतान में किसी नियम/एक्ट/न्यायालयीन आदेश/शासन निर्देश के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा छूट प्रदान की गई है, खाता प्रशासक द्वारा कोषालय चैक जारी करने हेतु कोषालय चैक विकल्प का चयन किया जायेगा तथा इलेक्ट्रानिक पी.डी. चैक कोषालय अधिकारी को ऑन-लाईन प्रेषित किया जायेगा । कोषालय अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक पी.डी. चैक का भुगतान दर्शाया जाकर कोषालय चैक जारी किया जायेगा ।

P.T.O.

(12) बिन्दु क्रमांक 10 एवं 11 के लिए पी.डी. प्रशासक एवं कोषालय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(i) पी.डी. (व्यक्तिगत निक्षेप खाता) प्रशासक द्वारा बी.टी. (पुस्तक अंतरण) /कोषालय चक विकल्प का चयन कर इलेक्ट्रानिक पी.डी. चैक बनाया (Creation) जाकर कोषालय को ऑन लाईन प्रेषित किया जायेगा ।

(ii) बुक ट्रांसफर के प्रकरणों में प्रशासक द्वारा चालान का विवरण दर्ज किया जायेगा, चालान की राशि, इलेक्ट्रानिक पी.डी. चैक की राशि के बराबर होगी । इलेक्ट्रानिक या भौतिक चैक के विकल्प का चयन करने पर जिस व्यक्ति /संस्था के नाम/पदनाम पर कोषालय चैक जारी किया जाना है उसका नाम/पदनाम दर्ज किया जायेगा ।

(iii) कोषालय अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक पी.डी. चैक को पारित किया जायेगा तथा चालान/कोषालय चैक जनरेट किया जायेगा । इलेक्ट्रानिक पी.डी. चैक पारित होते ही पी.डी. खाते का बेलेंस कम हो जायेगा तथा चालान/कोषालय चैक क्रमांक जनरेट हो जायेगा ।

(iv) कोषालय द्वारा कोषालय चैक प्रिंट किया जायेगा तथा प्रशासक/अधिकृत मेसेन्जर को उपलब्ध कराया जायेगा । चालान के प्रकरणों में चालान, कोषालय अधिकारी/अधिकृत सहायक कोषालय अधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त, प्रशासक को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(v) कोषालय चैक का बैंक से भुगतान होने के उपरान्त कोषालय द्वारा अन्य कोषालयीन चैक की भांति डिस्चार्ज किया जायेगा ।

(vi) पी.डी. प्रशासक द्वारा कोषालयों को ऑन लाईन प्रेषित किये गये (कोषालय में प्रस्तुत किये गये) इलेक्ट्रानिक पी.डी. चैक के समर्थन में कोई भौतिक प्रति (प्रिन्ट आउट) नहीं भेजा जायेगा तथा महालेखाकार को मासिक लेखा के साथ चालान/इलेक्ट्रानिक पी.डी. चैक की भौतिक प्रति प्रेषित नहीं की जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रं. : एफ 11-13/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय) ग्वालियर म.प्र. ।
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र. ।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र. ।
5. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग